

**॥ कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, चमोली ॥**  
 संख्या: 2124 / बयालीस-आबकारी / वि.म.दु.-व्यव./2024-25 / चमोली दिनांक: 23 मार्च, 2024  
**विज्ञप्ति**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या-148(1)/XXIII-1/2024-04(01)/2024 देहरादून दिनांक: 21 फरवरी 2024 एवं कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा प्रस्तुत विज्ञप्ति संख्या 27768 / दिनांक 22 मार्च 2024 के क्रम में जनपद चमोली के अन्तर्गत विदेशी मदिरा दुकानों की प्रथम चरण की लॉटरी के पश्चात अवशेष विदेशी मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन आबकारी नीति विषयक नियमावली 2024-25 के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार द्वितीय चरण की लॉटरी के माध्यम से किया जाना है, जिसके लिए निर्धारित कार्यक्रम तथा अवशेष मदिरा दुकानों के वार्षिक राजस्व का विवरण निम्नवत् है

क्र.सं.	विवरण	स्थान दिनांक व समय
01	लॉटरी हेतु आवेदन पत्र जमा करने की तिथि (प्रारम्भ)	26.03.2024
02	लॉटरी हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि व समय	27.03.2024 (सांय 05.00 बजे तक)
03	लॉटरी की तिथि	28.03.2024 को समय (अपरान्ह 03:00 बजे से प्रक्रिया समाप्ति होने तक जिला कार्यालय सभागार चमोली)

**वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु द्वितीय चरण की लॉटरी के अन्तर्गत दुकानवार राजस्व का विवरण**


क्र.सं.	विदेशी मदिरा दुकान का नाम	दुकानवार क्षमता के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु दिनांक 01.04.2024 से दिनांक 31.03.2025 तक पुर्ननिर्धारित वार्षिक राजस्व	वित्तीय वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत दुकानवार अनुज्ञापन शुल्क (कालम संख्या 3 का 1 प्रतिशत एवं 1000 के पूर्णांक में)	वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु कुल वार्षिक अधिभार (कालम संख्या 3-कालम 4)	वित्तीय वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत न्यूनतम नसिक प्रत्याभूत ड्यूटी की घनराशि कालम सं० 5 / 12	धरोहर घनराशि/ कुल वार्षिक राजस्व का 2.5 प्रतिशत (कालम सं० 3 का 2.5 प्रतिशत)	वित्तीय वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत हैसियत की घनराशि (कुल वार्षिक राजस्व का 15 प्रतिशत)	वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु प्रथम प्रतिभूति की घनराशि (कुल वार्षिक अधिभार का 1/12)	वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु द्वितीय प्रतिभूति घनराशि (कुल वार्षिक अधिभार का 1/12)	वित्तीय वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत उपदुकान हेतु अनुज्ञापन शुल्क (कालम संख्या 4 का 2 गुना)
1	पोखरी	59840643	598000	59242643	4936887	1496016	8976096	4936887	4936887	1196000
2	माईथान	14144459	141000	14003459	1166955	353611	2121669	1166955	1166955	282000
3	गैरसैण	61887164	619000	61268164	5105680	1547179	9283075	5105680	5105680	1238000
4	मैहलचौरी	19988647	200000	19788647	1649054	499716	2998297	1649054	1649054	400000
<b>योग</b>		<b>155860913</b>	<b>1558000</b>	<b>154302913</b>	<b>12858576</b>	<b>3896522</b>	<b>23379137</b>	<b>12858576</b>	<b>12858576</b>	<b>3116000</b>

इच्छुक आवेदक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र, शपथ पत्र, निर्धारित धरोहर घनराशि का बैंक ड्राफ्ट, निर्धारित प्रक्रिया शुल्क रू० 65000/- (नॉन रिफ़न्डेबल) का बैंक ड्राफ्ट जो जिला आबकारी अधिकारी, चमोली के पदनाम से जारी हो तथा वाञ्छित हैसियत प्रमाण-पत्र जी-39 प्रारूप में जो 31.03.2024 तक वैध हो, की सत्यापित छायाप्रति, स्थाई/मूल निवास प्रमाण-पत्र, पैन एवं आधार कार्ड, विगत 02 वर्ष के आईटी0आर0 प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रतियां (10 करोड से कम वार्षिक राजस्व वाली मदिरा दुकान में न्यूनतम वार्षिक आय 5 लाख रू० हेतु विगत वर्ष की आईटी0आर प्रमाण-पत्र) संलग्न किया जाना अनिवार्य है। द्वितीय चरण की लॉटरी हेतु सम्पूर्ण भारत वर्ष के नागरिक पात्र होंगे। उपरोक्त दुकानों के आवंटन/व्यवस्थापन से सम्बन्धित प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी एवं शर्तें विभागीय वेबसाईड [utrakhandexcise.org.in](http://utrakhandexcise.org.in) से तथा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक व जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

जिला आबकारी अधिकारी,  
चमोली।

प्रतिलिपि:-

- 1- जिलाधिकारी महोदय चमोली को अवलोकानार्थ सादर प्रेषित।
- 2- सम्पादक दैनिक समाचार पत्र, अमर उजाला/दैनिक जागरण/हिन्दुस्तान/राष्ट्रीय सहारा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को राष्ट्रीय स्तर पर दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 24.03.2024 के संस्करण में न्यूनतम स्पेस में न्यूनतम दर पर प्रकाशित करते हुये बिल भुगतान हेतु अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

  
23/3/24  
जिला आबकारी अधिकारी,  
चमोली।